INDEX Starred Assembly Question No. *5 Listed on 25.08.2023

Sr. No.	Particulars	Page No.
1	Reply of Starred Assembly Question No. *5 (in English)	1
2	Note for Pad (in English)	2-3
3	Reply of Starred Assembly Question No. *5 (in Hindi)	4
4	Note for Pad (in Hindi)	5-6

Note for Pad

The Department of New & Renewable Energy, Haryana, is implementing a scheme to provide solar water pumping systems under PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evem Utthan Mahabhiyan) of the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India. This scheme aims at supporting the agriculture sector through the setting up of decentralized solar power plants, the replacement of agriculture diesel pumps with solar agriculture water pumps, and the solarization of existing grid-connected agriculture pumps. The solarization of pumps can reduce their dependence on conventional sources of energy, thus reducing the burden of subsidy on agriculture consumption of electricity, which shall serve the objective of the scheme.

The Department of New and Renewable Energy is implementing **Component-B** of the PM-KUSUM scheme in the State, whereas **Component-A** and **Component-C** are being implemented by the DISCOMS under their respective jurisdictions.

USER SHARE AND SUBSIDY PATTERN

Capacity	User Share	MNRE Subsidy	State Subsidy
3-7.5 HP Pumps	25% of the cost	30% of the cost	45% of the cost
10 HP pumps	25% of the cost	30% of the cost	Balance of the user share
		of 7.5 HP pump	and MNRE subsidy

Under **component B** of the scheme, standalone solar pumps of 3 HP to 10 HP capacity are being installed in the State with a 75% subsidy. The farmer has to pay only 25% of the total pump cost. These pumps can be installed by farmers/water user associations/community/cluster based irrigation systems, etc. only for irrigation purposes.

In the notified areas of the Haryana Water Resources Authority (HWRA), new Solar Agriculture pumps would not be covered under this component. However, existing standalone diesel pumps can be converted into standalone solar pumps in these areas, provided they use micro-irrigation techniques to save water. Further, the applicants must have micro-irrigation (drip/sprinkler) in their fields in villages where the ground water table has gone below 100 feet, according to the survey of the Haryana Water Resources Authority (HWRA).

The Haryana government provides electricity at highly subsidized rates to the tubewell connections so that the cost of irrigation is minimal. Solar pumps are an alternative to Electricity tubewells and a way to save on recurring expenditures on RE subsidies. The State government promotes off-grid solar pumps under component B of the PMKUSUM scheme of the Ministry of New & Renewable Energy, Govt. of India, by providing these pumps to farmers for irrigation at a subsidized cost, such that it costs only 25% of the cost of the solar pumps. The objective of the scheme is to provide solar pumps to farmers, not only to save RE subsidies but also to provide farmers with a clean, renewable source of irrigation without any recurring costs. Therefore, only one source of irrigation is provided to the farmers, either an electricity tube-well or a solar tube-well, to fulfill the objective of the said scheme. The scheme guidelines were prepared &

published in line with the MNRE scheme guidelines issued with the approval of the competent authority.

The farmers who did not apply for electric tubewell connections can obtain solar connection for their tubewell without waiting furthermore.

For the 33810 connections applied between 01.01.2019 to 31.12.2021 having capacity upto 10 BHP, the individual detail of these applicants has been provided to the HAREDA for releasing these connections on off grid solar mode.

पैड के लिए नोट

नव और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हिरयाणा, भारत सरकार के नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) के तहत सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रदान करने के लिए एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य विकेन्द्रीकृत सोलर पावर प्लांट की स्थापना, कृषि डीजल पम्पों को सोलर कृषि वाटर पम्पों से बदलना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पम्पों के सोलराईजेशन के माध्यम से कृषि क्षेत्र की सहायता करना है। पम्पों के सोलराईजेशन से ऊर्जा के पारंपिरक स्रोतों पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है, जिससे बिजली की कृषि खपत पर सब्सिडी का बोझ कम हो जाएगा, जो इस योजना के उद्देश्य को पूरा करेगा।

नव और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग राज्य में पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-बी को लागू कर रहा है, जबिक कम्पोनेंट-ए और कम्पोनेंट-सी को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्रों के तहत डिस्कॉमस द्वारा लागू किया जा रहा है।

उपभोक्ता हिस्सा तथा सब्सिडी का पैटर्न

क्षमता	उपभोक्ता हिस्सा	एमएनआरई सब्सिडी	राज्य सब्सिडी
3-7.5 एचपी पम्प	लागत का 25%	लागत का 30%	लागत का 45%
10 एचपी पम्प	लागत का 25%	7.5 एचपी पम्प की लागत का 30%	उपभोक्ता के हिस्से और एमएनआरई सब्सिडी का शेष

योजना के कम्पोनेंट-बी के तहत, राज्य में 75% सब्सिडी के साथ 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता तक के स्टैंडअलोन सोलर पम्प स्थापित किए जा रहे हैं। किसान को पम्प कीकुल लागत का केवल 25% भुगतान करना पड़ता है। ये पम्प किसानों/वाटर यूजर एसोसिएशन/ समुदाय/क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणालियों आदि द्वारा केवल सिंचाई उद्देश्यों के लिए स्थापित किए जा सकते हैं।

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) के अधिसूचित क्षेत्रों में, नए सोलर कृषि पम्प इस कम्पोनेंट के तहत कवर नहीं किए जाएंगे। हालाँकि, इन क्षेत्रों में मौजूदा स्टैंडअलोन डीजल पम्पों को स्टैंडअलोन सोलर पम्पों में बदला जा सकता है, बशर्ते कि वे पानी बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का प्रयोग करें। इसके अलावा, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) के सर्वेक्षण के अनुसार, जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां आवेदकों को अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) करनी होगी।

हरियाणा सरकार ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए अत्यधिक रियायती दरों पर बिजली प्रदान करती है ताकि सिंचाई की लागत न्यूनतम हो। सोलर पम्प बिजली ट्यूबवेल का एक विकल्प है और आरई सब्सिडी पर बार-बार होने वाले खर्च को बचाने का एक तरीका है। राज्य सरकार नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-बी के तहत ऑफ-ग्रिड सोलर पम्पों को बढ़ावा देती है और किसानों को सिंचाई के लिए इन पम्पों को सब्सिडी लागत पर उपलब्ध कराती है, जिससे इसकी लागत सोलर पंपों की लागत का केवल 25% होती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सोलर पम्प प्रदान करना है, जिससे न कि केवल आरई सब्सिडी बचती है बल्कि किसानों को सिंचाई की लागत की पुनरावृति किए बिना स्वच्छ एवं नवीकरणीय स्रोत भी प्राप्त होता है। इसलिए, उक्त योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसानों को सिंचाई का केवल एक ही स्रोत यानी बिजली ट्यूबवेल या सोलर ट्यूबवेलप्रदान किया जाता है। योजना के दिशा-निर्देश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी एमएनआरई योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार और प्रकाशित किए गए थे।

जिन किसानों ने बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आगे बिना इंतजार किए अपने ट्यूबवेल के लिए सोलर कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

01.01.2019 से 31.12.2021 के बीच आवेदित 10 बीएचपी तक की क्षमता वाले 33810 कनेक्शनों का व्यक्तिगत विवरण हरेडा को ऑफ ग्रिड सोलर मोड पर जारी करने के लिए भेज दिया गया है।